न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा, आर.ए.एस.

मु.नं. 45/2021 दायरा दिनांकः– 3/3/21

1. भैरूसिंह पुत्र लालूसिंह जाति राजपुत निवासी मालासर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. सोहनसिंह पुत्र लालूसिंह जाति राजपुत निवासी मालासर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. सुल्तानसिंह पुत्र लालूसिंह जाति राजपुत निवासी मालासर तहसील बीदासर जिला चूरू
4. महावीरसिंह पुत्र लालूसिंह जाति राजपुत निवासी मालासर तहसील बीदासर जिला चूरू

वादीगण

बनाम

1. कानीदेवी पत्नि चेनाराम जाति जाट निवासी मालासर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. लुणाराम पुत्र चेनाराम जाति जाट निवासी मालासर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. शेराराम पुत्र चेनाराम जाति जाट निवासी मालासर तहसील बीदासर जिला चूरू
4. ओमप्रकाश पुत्र चेनाराम जाति जाट निवासी मालासर तहसील बीदासर जिला चूरू
5. रतनाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी मालासर तहसील बीदासर जिला चूरू
6. रूखमादेवी पत्नि मुकनाराम जाति जाट निवासी मालासर तहसील बीदासर जिला चूरू
7. मांगुसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपुत निवासी मालासर तहसील बीदासर जिला चूरू
8. लिछमणसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपुत निवासी मालासर तहसील बीदासर जिला चूरू
9. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत रूप से विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा की डिग्री प्राप्ति का अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थित :– 1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट– वकील वादी

2. पेरोकार राज

–: निर्णय :– दिनांक :–18.08.2021

प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 8 आठ के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 120 एक सौ बीस तादादी 1.0749 एक दशमलव जीरो सात सौ उनचास हेक्टेयर वाके रोही मालासर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। वादगत खेत खसरा संख्या 120 एक सौ बीस तादादी 1.0749 एक दशमलव जीरो सात सौ उनचास हेक्टेयर वाके रोही मालासर तहसील बीदासर जिला चूरू में वादी प्रत्येक का 3/85 तीन बट्टा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner

पिचयासी हिस्सा नियत है। वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 8 आठ ने वादगत खेत का कई वर्षो पहले मौखिक विभाजन किया। मौखिक विभाजन के मुताबिक उतरी पश्चिमी कोने की भूमि वादीगण के हिस्सा पांति में आई हुई है। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 8 आठ अपने-अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे है। वादीगण ओर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 8 आठ की भूमि के बीच में कातले रोपकर तारबंदी की हुई है। उक्त उतरी पश्चिमी कोने की भूमि में वादीगण की पक्की ढाणीयां बनी हुई है जिसमें वादीगण अपने परिवार सहित निवास करते है। वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 8 आठ का खान पान, लेन देन सब अलग-अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त अंकित होने के कारण वादीगण को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानीयां हो रही है। इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि वोह अपने हिस्से पांति की संयुक्त खातेदारी भूमि का मौखिक विभाजन के मुताबिक उतरी पश्चिमी कोने की भूमि का ''बाई मीटस एण्ड बाउन्स'' के आधार पर विभाजन करवाकर राजस्व रेकार्ड में अलग अंकित करवाकर लगान का अलग से विभाजन करवायें। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 8 आठ से दिनांक 25.01.2021 को मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेत की खातेदारी का मौखिक विभाजन के मुताबिक विधिवत विभाजन करवाकर अपने अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में अलग अलग अंकित करवाये, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 8 आठ ने साफ इन्कार कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 8 आठ ने वादीगण को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादीगण को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे। इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 8 आठ को वर्जित कराये कि वोह वादीगण के हिस्सा की भूमि जो उतरी पश्चिमी और आई हूई है पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादीगण के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादीगण को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 8 आठ की ऐलानियां धमकियां से वादीगण को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner

को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में प्रतिवादी संख्या 9 नो के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद वादीगण संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम मालासर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादीगण निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादीगण वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादीगण वकील ने दौराने बहस दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादीगण के वाद को स्वीकार करने का निवेदन किया।

वादीगण वकील की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादीगण द्वारा वाद में किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है। इस कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी प्रत्येक अपने कब्जा काश्त के आधार पर भूमि का विभाजन अलग अलग चाह रहे है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादीगण का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री इस प्रकार जारी की जाती है कि वादगत भूमि में वादी प्रत्येक की हिस्सा भूमि तक पहुंच मार्ग दर्शाते हुए अलग अलग विभाजन किया जाकर लगान का विभाजन किया जावे अर्थात् प्रत्येक वादी का खाता अलग अलग किया जावे व प्रत्येक वादी के पहुंच मार्ग दर्शाया जावे। शेष भूमि प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त रखी जावे। तदनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner